तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No.16/2022**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए

18.5.2022

पत्रावली पेश हुई। श्री विनोद कुमार शर्मा, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनुपस्थित। प्रतिवादी अनुपस्थित। प्रकरण में प्रतिवादी संजय मेहता पुत्र हंसमुख मेहता, जाति– बनिया, निवासी– 405 पॉम अपार्टमेन्ट, बी/एच. पायल पावभाजी, अम्बाजी रोड, आबूरोड़, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, गीता फूड्स, रिक्को अम्बाजी इण्डस्ट्रीयल एरिया, आबूरोड़, जिला– सिरोही ने प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 16.5.2022 को इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित जवाब प्रस्तुत कर जुर्म स्वीकार करते हुए प्रकरण का निस्तारण करने का अनुरोध किया।

प्रकरण में नियत दिनांक 16.5.2022 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित नही हुये। प्रतिवादी संजय मेहता द्वारा दिनांक 16.5.2022 को उक्तानुसार लिखित जवाब प्रस्तुत कर जुर्म स्वीकार कर लिये जाने से दिनांक 16.5.2022 को ही प्रतिवादी को सुना गया। प्रतिवादी संजय मेहता ने जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कम जुर्माना करने का अनुरोध किया।

प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री विनोद कुमार शर्मा, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 15.7.2021 को समय 11.00 ए.एम. पर खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु फर्म गीता फूड्स, रिक्को अम्बाजी इण्डस्ट्रीज एरिया, आबूरोड़, जिला– सिरोही पर गये। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता व मालिक की हैसियत से प्रतिवादी संजय मेहता पुत्र हंसमुख मेहता, जाति– बनिया, निवासी– 405 पॉम अपार्टमेन्ट, बी/एच. पायल पावभाजी, अम्बाजी रोड, आबूरोड़, जिला– सिरोही उपस्थित मिले, जो आम जनता को खाद्य पदार्थ FRYUMS (EASYTO BRAND) बेचता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग आने वाले खाद्य पदार्थ FRYUMS (EASYTO BRAND) के अमानक होने का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना मौके पर उपस्थित गवाह श्री सिद्धार्थ तोमर, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के समक्ष प्रपत्र 5ए में विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ता संजय मेहता को भरकर दी व रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फर्म गीता फूड्स में प्लास्टिग बैग में फर्श पर बिक्री हेतु मौजूद खाद्य पदार्थ FRYUMS ([illegible] 22 ग्राम पैक्ड पाउचेज में से FRYUMS ([illegible] BRAND) के 100 पैक्ड पाउचेज [illegible] एवं उसकी कीमत राशि रुपये 335/– [illegible] (तीन सौ पैंतीस मात्र)

........लगातार

सिरोही–307001

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:14:51 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No.16/2022**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए

विक्रेता संजय मेहता को नकद अदा कर खरीद रसीद/बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-1450, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ FRYUMS (EASYTO BRAND) आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता व गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना पाउचेज पर एक–एक लेबल लगाया एवं खरीदशुदा FRYUMS (EASYTO BRAND) के 25–25 पाउचेज को मिलाकर चार पैकेट बनाये एवं पैकेटों को चिपकाकर चारों नमूना पैकेटों पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाकर चारों नमूना पैकेटों को अलग अलग कागज में लपेटकर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-1450 को नियमानुसार गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को नियमानुसार सील चपडी किया व प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर कराये व स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कब्जे/जाप्ते में लिया तथा मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर विक्रेता, गवाह व आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में पँहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सीलड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की की दो–दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग–अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 16.7.2021 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा श्री प्रवीण कुमार, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को दिनांक 15.7.2021 को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म गीता फूडस्, रिक्को अम्बाजी इण्डस्ट्रीयल एरिया, आबूरोड़, जिला– सिरोही में खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता संजय मेहता से खाद्य पदार्थ FRYUMS (EASYTO BRAND) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक

......लगातार

न्यायालय प्रति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:14:51 IST
Reason: SelfAttested

प्रति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No.16/2022**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमे जारी हुए

अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से खाद्य पदार्थ FRYUMS (EASYTO BRAND) के नमूना संख्या S-1450 की प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक: L.S./429/Act/2021/526 दिनांक 26.7.2021 के अनुसार खाद्य पदार्थ FRYUMS (EASYTO BRAND) का नमूना मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिवादी FRYUMS (EASYTO BRAND) ने मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ FRYUMS (EASYTO BRAND) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ FRYUMS (EASYTO BRAND) के विक्रय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 52 के तहत प्रतिवादी संजय मेहता पुत्र श्री हंसमुख मेहता, जाति– बनिया, निवासी– 405 पॉम अपार्टमेन्ट, बी/एच., पायल पावभाजी, अम्बाजी रोड, आबूरोड़, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म गीता फूडस्, रिक्को इण्डस्ट्रीयल एरिया, आबूरोड़, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 10,000/– (अक्षरे रुपये दस हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। साथ ही, प्रतिवादी संजय मेहता को आदेशित किया जाता है कि उक्त आरोपित जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय की प्रति संबंधित को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 10.6.2022 को पेश हो।

(के.आर.खौड़)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही

जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:14:51 IST
Reason: SelfAttested